फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : मांगीलाल

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम

विपक्षी : राज्य

पत्रावली संख्या : 207/17

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.02.2018 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान में तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम जेराम अंकित कर रखा हैं जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेज में प्रार्थी के पिता का नाम हका गाडरी दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा दस्तावेज खाता सं. 110, 86, ड्राईविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, आधार कार्ड प्रस्तुत किया एवं प्रार्थी के पिता का मतदाता पहचान पत्र, जॉब कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल प्रस्तुत किया। सभी दस्तावेज में प्रार्थी के पिता का नाम हका पिता चेना गाडरी होना जाहिर आया हैं। प्रार्थी के अन्य खाते जमाबन्दी खाता सं. 110 व 86 में प्रार्थी के पिता का नाम हका ही अंकित हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–:<u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा काडा पटवार हल्का वारणी की आराजी नम्बर 583/367, 584/367 किता 2 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा एवं ग्राम भारोडी की आराजी नम्बर 671/1 किता 1 रकबा 3 बीघा भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम जयराम पिता चैनराम के बजाय हका उर्फ जयराम पिता चैना संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान में सुनाया गया। (जितेन्द्र ओझा) सहायक कलक्टर (SDO)मावली	